

मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना

दिशा निर्देश

1. उद्देश्य:

प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में रह रहे बेरोजगार नवयुवकों तथा नवयुवतियों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु दुकान/चबूतरा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से "मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना" प्रारंभ की जा रही है।

2. पात्रता:

छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों में रहने वाले 18 से 40 वर्ष तक की आयु के युवक/युवतियों, जिनके स्वयं के पास रोजगार कोई साधन न हो तथा जिनके अभिभावक/पालक की आय एक लाख रुपये प्रतिवर्ष से कम हो, इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र होंगे।

3. योजना का कार्य क्षेत्र तथा क्रियान्वयन:

योजना प्रदेश के सभी नगरीय क्षेत्रों में लागू होगी तथा इसका क्रियान्वयन नगरीय निकायों द्वारा जिला कलेक्टर के मार्गदर्शन में किया जायेगा। जिला कलेक्टर, जो जिला शहरी विकास अभिकरण के अध्यक्ष भी हैं, योजना के नोडल अधिकारी होंगे।

4. योजना के अंतर्गत दिये जाने वाला लाभ :

इस योजना के अंतर्गत नगरीय निकाय के द्वारा अपने क्षेत्रांतर्गत दुकान/चबूतरा बनाकर बेरोजगार व्यक्ति से थोड़ी सी अमानत राशि के अलावा मासिक किराया भी नियमित रूप से पटाना होगा। दुकान पर मासिकाना हक नगरीय निकाय का रहेगा तथा आबंटित किरायेदार के रूप में व्यवसाय कर सकेगा।

5. योजना के लिए भूमि :

इस योजना हेतु आवश्यक भूमि उपलब्ध कराने का दायित्व जिला कलेक्टर का होगा। क्योंकि वे योजना के कियान्वयन हेतु नोडल अधिकारी होंगे। वे आयुक्त/मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा मांग किये जाने पर उन्हें उपयुक्त भूमि रुपये 1/- प्रति वर्गफुट की प्रीमियम पर उपलब्ध करायेगे। यदि नगरीय निकाय के पास स्वयं की भूमि उपलब्ध हो तो वे उस पर भी योजना ले सकेंगे।

6. योजना में लिए जा सकने वाले कार्य तथा वित्तीय व्यवस्था:

(क) पक्की दुकानें:

योजना के अंतर्गत दुकानों की संख्या का आकलन नगरीय निकाय द्वारा शहर की आवश्यकता व आर्थिक स्थिति को देखते हुए किया जायेगा। उपयुक्त स्थानों पर नगरीय निकाय द्वारा उचित संख्या में 8X10 वर्गफुट तक के नाप की छोटी-छोटी दुकानें बनाई जायेगी।

दुकानों की लागत को ध्यान रखते हुए 50 प्रतिशत राशि नगरीय विकास विभाग से नगरीय निकायों को प्रदान की जायेगी। शेष राशि की व्यवस्था नगरीय निकायों को स्वयं करना है, जिसके लिए हुडको अथवा किसी बैंक से ऋण लिया जा सकता है। इस परियोजना हेतु राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA) नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगी। दुकानों का किराया देते समय बेरोजगार व्यक्ति के द्वारा निम्नानुसार अमानत की राशि व मासिक किराया नगरीय निकाय को देय होगा:-

- | | |
|---|--|
| (अ) नगर पंचायतों की स्थिति में | - अमानत चार हजार रुपये
व किराया रुपये 400/-
प्रतिमाह |
| (ब) बीस हजार से पचास हजार तक की जनसंख्या वाली नगरपालिकाओं की स्थिति में | - अमानत पांच हजार रुपये व किराया रुपये 500/- प्रतिमाह |
| (स) पचास हजार से एक लाख तक जनसंख्या वाली नगरपालिकाओं की स्थिति में | - अमानत राशि छः हजार रुपये व किराया रुपये 600/- प्रतिमाह |

(3)

- (द) तीन लाख तक जनसंख्या वाले नगर अमानत राशि आठ
पालिक निगमों की स्थिति में - हजार रुपये व किराया
रुपये 800/- प्रतिमाह
- (इ) तीन लाख से अधिक जनसंख्या वाले अमानत राशि दस हजार
नगरपालिक निगमों की स्थिति में - रुपये व किराया रुपये
1,000/- प्रतिमाह

अमानत की राशि एक मुश्त जमा करना होगा ।

प्रत्येक 3 वर्ष में दुकानों के मासिक किराये में 15 प्रतिशत की वृद्धि की जा सकेगी ।

यदि दुकानें गैर व्यवसायिक क्षेत्र में स्थित हैं तो परिस्थिति के अनुसार नगरीय निकाय द्वारा मासिक किराये में एक तिहाई तक की छूट दी जा सकेगी ।

दुकानों/चबूतरों का आरक्षण:

विभिन्न श्रेणियों के लिए दुकानें/चबूतरें "नगर पालिक(अचल संपत्ति का अंतरण) नियम" के अनुरूप निम्नानुसार आरक्षित किये जायेंगे:-

- (अ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए - पन्द्रह प्रतिशत
- (ब) अन्य पिछड़े वर्गों के लिए - तीन प्रतिशत 15%
- (स) विधवाओं एवं परित्यक्ता महिलाओं के लिए - दो प्रतिशत
- (द) विकलांगों के लिए (इनमें दृष्टिहीन विकलांगों को प्राथमिकता दी जावेगी) - दो प्रतिशत
- (ई) भूतपूर्व सैनिकों के लिए - दो प्रतिशत
- (फ) स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए - दो प्रतिशत
- (क) शिक्षित बेरोजगारों के लिए - पांच प्रतिशत
- (ख) महिलाओं के लिए - दस प्रतिशत

अन्य शर्तें :

- (अ) आबंटिती व्यक्ति दुकानों/चबूतरों में व्यवसाय स्वयं चलायेंगे, किसी अन्य को किराये पर नहीं देंगे ।
- (ब) यदि किसी आबंटिती व्यक्ति को दुकान/चबूतरा की आवश्यकता न हो तो उसे दुकान/चबूतरा नगरीय निकाय को वापस लौटानी होगी ।
- (स) अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करने पर नगरीय निकाय को दुकान/चबूतरा रिक्त कराकर कब्जा लेने का अधिकार होगा ।
- (द) एक परिवार से एक व्यक्ति को ही आबंटन किया जायेगा ।
- (इ) उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त अन्य शर्तें नगरीय निकाय द्वारा निर्धारित किये जायेंगे ।

9. भूमि का चयन तथा दुकान/चबूतरा आबंटन प्रक्रिया:

योजना के अंतर्गत दुकानों/चबूतरों के निर्माण हेतु भूमि का चयन संबंधित जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जायेगा । समिति द्वारा चयनित सूची के अनुसार आबंटन आदेश आयुक्त/मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा जारी किया जायेगा ।

10. निकाय द्वारा योजना का प्रस्ताव महापौर/अध्यक्ष परिषद् से अनुमोदन उपरांत जिला शहरी विकास अभिकरण को प्रस्तुत किया जायेगा ।

11. लेखा का संधारण :

राज्य शहरी विकास अभिकरण द्वारा निर्धारित किये गये अनुसार लेखा का संधारण संबंधित जिला शहरी विकास अभिकरण उनके जिले की संबंधित निकायों के लिए तथा निकाय स्तर पर संबंधित नगरीय निकाय द्वारा लेखा का संधारण किया जायेगा तथा निर्धारित प्रपत्र में भौतिक प्रगति एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र जिला शहरी विकास अभिकरण के माध्यम से राज्य

6

5

शहरी विकास अभिकरण को प्रस्तुत किया जायेगा, जिसके आधार पर आगामी किशतों का निर्गमन किया जा सकेगा। जिला शहरी विकास अभिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि संबंधित निकाय में व्यय राशि न्यूनतम हो और राशि का किसी प्रकार से दुरुपयोग या अन्यथा उपयोग न किया जावे।

इस योजना के लिए शासन द्वारा विमुक्त की गई राशि नगरीय निकायों द्वारा बैंक में पृथक् खाता खोलकर रखी जावेगी, जिसका परिचालन आयुक्त, नगरपालिक निगम अथवा मुख्य नगरपालिका अधिकारी (जैसी स्थिति हो) तथा परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास अभिकरण के नियुक्त हस्ताक्षर से किया जावेगा।

(बी.के.सिन्हा)

विशेष सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

आवास, पर्यावरण एवं नगरीय विकास विभाग

आवेदन पत्र प्रारूप

प्रति ,

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई

फोटो

विषय :- मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत दुकान/चबुतरा आबंटन हेतु आवेदन पत्र ।

1. आवेदक/आवेदिका का नाम —
2. पिता/पति का नाम —
3. आवेदक का वर्तमान पूर्ण पता —
4. स्थायी पता —
5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विधवा/परित्यक्ता विकलांग/भूतपूर्व सैनिक/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी/शिक्षित बेरोजगार/सामान्य, उपरोक्त में से आवेदक किसी वर्ग के अंतर्गत आता है —
6. जाति — जन्मतिथि -
7. वार्षिक आय —
8. यदि आवेदक या उसके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम से निगम क्षेत्र में दुकान/भूखंड हो तो उसका विवरण —
9. परिवार की कुल सदस्य संख्या —
10. आवेदक यदि अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति का है तो उसका प्रमाण पत्र संलग्न करें।
11. आवेदक यदि भूतपूर्व सैनिक/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का है तो उसका प्रमाण पत्र संलग्न करें।
12. यदि आवेदक विकलांग हो तो उक्ताशय का प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी का संलग्न करें, जिससे दृष्टिहीन विकलांगों को प्राथमिकता दी जावेगी।
13. यदि आवेदक/आवेदिका विधवा या परित्यक्ता हो तो उसका प्रमाण पत्र संलग्न करें।
14. आवेदक या उसके परिवार के सदस्यों के नाम से कोई व्यावसायिक भूखंड/दुकान न होने संबंधी शपथ पत्र संलग्न करें।
15. क्या आवेदक निगम द्वारा निर्धारित अमानत राशि एवं किराया की राशि जमा करने के लिये सहमत है — हों/नहीं
16. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय एवं निवास प्रमाण पत्र संलग्न करें।

सत्यापन :- मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी सही एवं सत्य है । असत्य पाये जाने की स्थिति में आवेदन स्वयंमेव निरस्त माना जावेगा तथा निगम द्वारा निर्धारित समस्त नियम शर्तें मुझे मान्य होगी ।

1. शपथ पत्र
2. तहसीलदार द्वारा प्रमाणित आय प्रमाण-पत्र (वार्षिक 1लाख से कम)
3. आयु प्रमाण-पत्र/अंकसूची (18 से 40 वर्ष)
4. राशन कार्ड/आधार कार्ड/परिचय पत्र
5. जाति प्रमाण-पत्र
6. निवास प्रमाण-पत्र

आवेदक का हस्ताक्षर

नाम —

पूर्ण पता—

.....

.....

.....

मो. नं —